IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

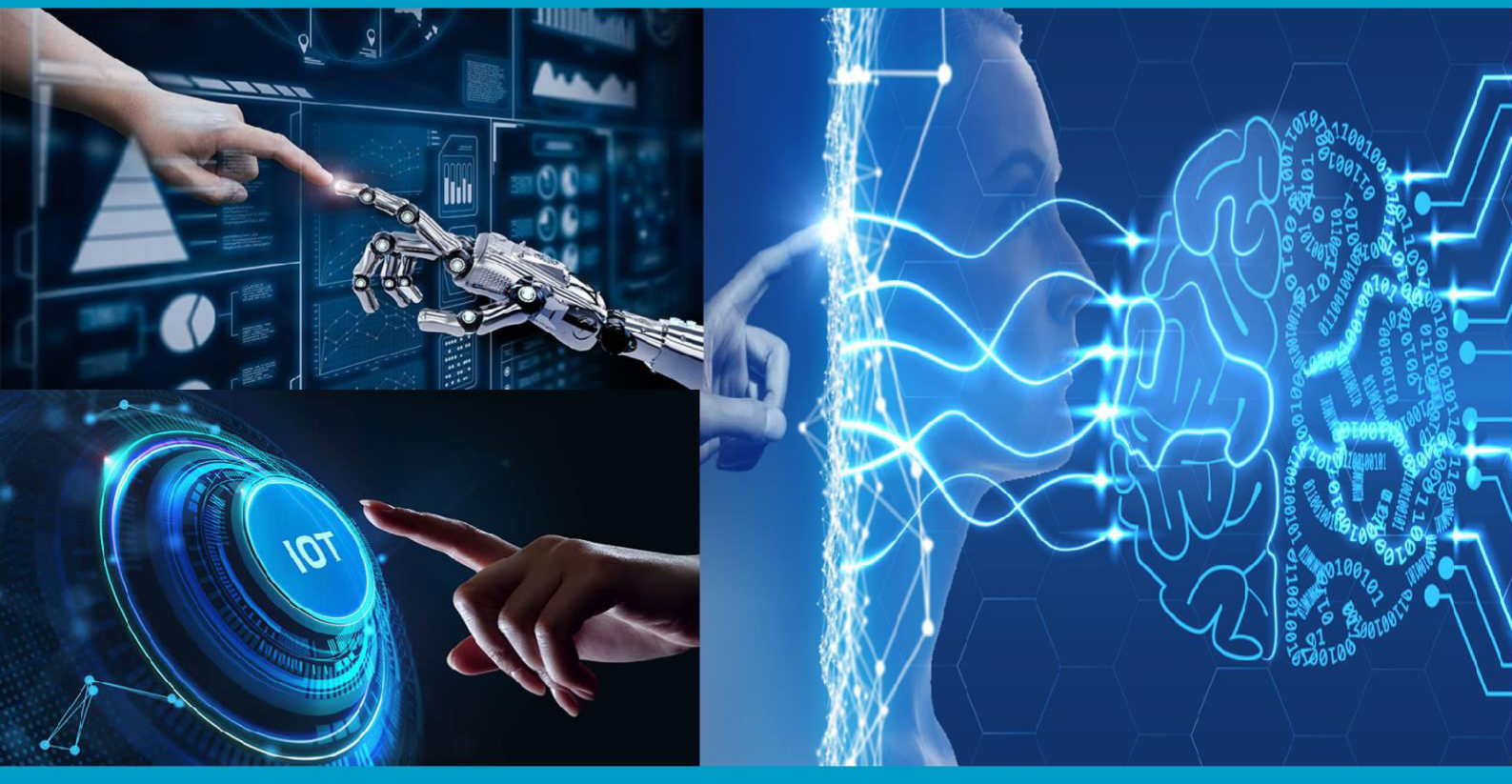

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 10, Issue 1, January 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management
(IJMRSETM)

[ISSN: 2395-7639| www.ijmrsetm.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 10, Issue 1, January 2023 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2023.1001008|

भारत में मानवाधिकार शिक्षा – मुद्दे और चुनौतियां

(Human Rights Education in India- Issues and Challenges)

डॉ. पुष्पा, सहायक प्रोफेसर [1] **डॉ सुनील कुमार,** सह आचार्य [2]

जीव विज्ञान विभाग आईएएसई मानित विश्वविद्यालय सरदारशहर (राज.)
भूगोल विभाग, आईएएसई मानित विश्वविद्यालय सरदारशहर (राज.)

सार संक्षेप

किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है। मानवाधिकार शिक्षा के साधारणतया तीन आयाम होते हैं– नैतिक, विधिक और प्रासंगिक। मानव समुदाय की नैतिक बुनियाद उसकी संवेदनशीलता में निहित होती है, जो हमें हमेशा याद दिलाती रहती है कि यह दुनिया आज जैसी है उससे भी बेहतर बनाई जा सकती है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (जनरल असेम्बली ऑफ यूनाइटेड नेशन्स) ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था तभी से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार घोषणा पत्र में न्याय, शांति और स्वतंत्रता की बुनियाद के रूप में समाज के सभी वर्गों को सम्मान और बराबरी का अधिकार दिए जाने की बात कही गई है। मानव अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से जीवन बिताने एवं उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। एक वाक्य में कहें तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं। मानव अधिकार शिक्षा का उदेश्य विद्यार्थी एवं छात्र समाज में परिवर्तन लाने तथा समाज को साथ लेकर चलने की योग्यता विकसित करना है। यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बना सके और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए पूरी क्षमता के साथ जुड़ सकें। अतः इस पत्र में मानव अधिकारों के उदय, मानवाधिकार आयोग, अंतर्निहित मुद्दों व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा द्वारा सीमित संसाधनों के साथ किये जाने वाले सकारात्मक उपायों का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द : मानव अधिकार, मानवाधिकार शिक्षा, मानवाधिकार आयोग।

पृष्ठभूमि (Pre-view)

|ISSN: 2395-7639| www.ijmrsetm.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 10, Issue 1, January 2023 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2023.1001008|

मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है, जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग–तीन में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं। मानव अधिकारों को कभी–कभी मौलिक, मूल या नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। मानवाधिकार वे नैतिक सिद्धान्त हैं, जो मानव व्यवहार से संबंधित कुछ निश्चित मानक स्थापित करते हैं। ये मानवाधिकार स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियमित रूप से रक्षित होते हैं। रोबिन्सन के अनुसार– "प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रताओं की संरक्षा एवं उसके प्राप्त करने के व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं।"

साधारणतः अधिकारों को दो मुख्य मार्गो में विभाजित किया जाता है– (1) नैतिक अधिकार, और (2) कानूनी अधिकार। आधुनिक समय में अलग–अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं को भिन्न–भिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है। इन अधिकारों की उत्पत्ति का स्त्रोत मानवीय विवेक न होकर मानव का मानवोचित्त गुण है। इनके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार भी शामिल हैं। इन्हीं अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में एक घोषणा–पत्र जारी किया था। इस घोषणा–पत्र में कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय और भाषा आदि से भिन्न होते हैं। रही बात मौलिक अधिकारों की तो ये देश के संविधान में उल्लिखित अधिकार हैं। ये अधिकार देश के नागरिकों को और किन्हीं परिस्थितियों में देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission)

मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश की सर्वोच्च संस्था है। भारत ने 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन कर इसे एक कानून के रूप में लागू किया। यह एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन 1991 के पेरिस सिद्धांतों के मुताबिक हुआ है। इस आयोग के कार्य–क्षेत्र में जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करना, न्यायिक व पुलिस हिरासत में हुई मौतों की जाँच–पड़ताल करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और लोगों के गायब होने आदि मामलों की जाँच करना शामिल है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य करना, शोध को बढ़ावा देना और लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना भी इस आयोग के कार्यों में शामिल है। यह आयोग मानवाधिकार से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों और रिपोर्ट्स का अध्ययन कर उनके प्रभावी अनुपालन की सिफारिश भी करता है।

|ISSN: 2395-7639| www.ijmrsetm.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 10, Issue 1, January 2023 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2023.1001008|

मानवाधिकार संबंधी मुद्दे (Human Rights Issues)

वैश्वीकरण के दौर में बदलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में मानवाधिकार शिक्षा का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। इससे एक ओर मानव की सृजनात्मक क्षमताओं के साकार होने की नई संभावनाएं बन रही हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भृष्टाचार, आतंकवाद सहित हिंसा के रूप में नकारात्मक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। यह समस्या इतनी जटिल और गंभीर हो गई है कि इससे निपटना समाज व सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस नई परिस्थिति में सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के मनमाने ढंग से उपयोग किए जाने की घटनाएं बढ़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप यह तय कर पाना कठिन हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है।

मानवाधिकार चुनौतियां (Human Rights Challenges)

मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा चुनौती गरीबी से मिल रही है। विश्वभर में हर 8 में से 1 व्यक्ति भूख के साथ जी रहा है। दुनियां में 24 हजार व्यक्ति रोजाना भुखमरी के शिकार होकर अकाल मौत मर जाते हैं। ऐसे दौर में हम मानवाधिकारों की बात करते नहीं थकते, जो सम्पूर्ण विश्व के लिए शर्मनाक है। मानवाधिकारों की बात करने वालों के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। मानवाधिकार हर प्राणी के लिए मायने रखता है, वह चाहे अमीर हो या गरीब। भूख और गरीबी से लोगों के जीने का अधिकार खतरे में पड़ जाता है तो अन्य मानवाधिकारों, जैसे– समानता, विचार अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता आदि के बारे में बातें करना बेमानी है। महिलाओं का यौन शोषण, बाल मजदूरी, धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, जातिगत भेद–भाव, लूट–पाट, बलात्कार आदि सभी बातें मानवाधिकारों के खिलाफ जाती हैं।

यूएन प्रमुख का मानना है कि जलवायु संकट, मानवाधिकारों का भी हनन है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्रकृति स्वास्थ्य से जुड़े संकटों से मानवाधिकारों के लिये भी चुनौती पैदा हो रही है। भारत में छः मौलिक अधिकार यथा– समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हैं। फिर भी जनता आज भी रोटी, कपड़े व मकान की बुनियादी सुविधाओं की प्राप्ति के लिए जूझ रही है। हमारे देश में 70 प्रतिशत जनता आज भी गाँव में रोशनी का मतलब ढूंढ़ रही है। पीने का साफ पानी नहीं है, जिसके कारण हजारों बच्चे डायरिया का शिकार हो रहे हैं। जहां दो जून रोटी और गरिमा पूर्ण जीवन की तलाश में कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वहां अधिकार की बात करने कौन आगे आयेगा? यह भी सच्चाई है कि सरकार आती जाती रहती हैं मगर गरीब के अधिकार आज भी कुचले जा रहे हैं।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management
(IJMRSETM)

[ISSN: 2395-7639| www.ijmrsetm.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 10, Issue 1, January 2023 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2023.1001008|

एनसीईआरटी (NCERT) की आठवीं अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा की सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि हजारों प्राथमिक विद्यालय या तो टेन्टों में या खुले आसमान के नीचे चल रहे है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 26 प्रतिशत आबादी अभी भी शिक्षा से वंचित है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 73 प्रतिशत आबादी में से सिर्फ 25 प्रतिशत को ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत में मानव अधिकार आयोग होने और उनके संरक्षण के लिए कारगर कानून होने के बावजूद बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार, तस्करी, ऑनर किलिंग, अस्पृश्यता, गरीबी, महिलाओं के साथ घर या सार्वजनिक तौर पर होने वाली हिंसा आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी बदस्तूर जारी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में आयोग ने बीते पांच वर्ष में यानी 2017 में 82,006; वर्ष 2018 में 85,950; वर्ष 2019 में 76,585; वर्ष 2020 में 75,064 और वर्ष 2021 में 1,06,022 शिकायतें दर्ज की हैं। वहीं, वित्तीय वर्ष 2022–23 में मई माह तक 16,504 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं और 17,043 मामलों (नये और पुराने) का निपटारा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, आयोग के समक्ष हजारों मामले विचाराधीन भी हैं।

मानवाधिकार शिक्षा (Human Rights Education)

मानवाधिकार शिक्षा (एचआरई) सार्वभौमिक आदर्शों की एक अभ्यास–उन्मुख अभिव्यक्ति है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो, और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किये जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन करावे। मानव अधिकार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार से संबंधित जागरूकता बढ़ाने, विद्यार्थी एवं छात्र समाज में परिवर्तन लाने तथा समाज को साथ लेकर चलने की योग्यता विकसित करना है। इसका एक उद्देश्य नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता पैदा करना भी है जहां व्यक्तिगत स्वहित और सामूहित तथा आम हित के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जाता है। यह व्यक्तियों को अपने अधिकारों का आनंद लेने, उनका प्रयोग करने, प्रोत्साहित करने, संरक्षण देने सम्मान से रहने और सम्मान देने के लिए सशक्त बनाता है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में मानवाधिकार शिक्षा (Human Rights Education) में मूल्यों और कर्त्तव्यों जैसे महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किये जाने से इस क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है।

[ISSN: 2395-7639| www.ijmrsetm.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 10, Issue 1, January 2023 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2023.1001008|

मानवाधिकार शिक्षा संवर्द्धन के उपाय (Measures for Improvement of HRE)

(1) वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सार्वभौम नैतिक मूल्यों की खोज का महत्व और भी बढ़ गया है। अतः सांस्कृतिक रूप से निर्धारित सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और सापेक्षिक नैतिक मूल्यों पर वाद–विवाद होना चाहिए।

(2) वैज्ञानिक सोच, अनेकत्व, सभी धर्मों के लिए सम्मान, मुक्त विचार, लोक तर्क जैसे नैतिक मूल्य सुदीर्घ भारतीय परंपराओं का हिस्सा रहे हैं। अतः इनको प्रोत्साहित करने के साथ–साथ अनुरक्षित कराना चाहिए।

(3) समाज में पर्याप्त लोकतांत्रिक शक्ति निहित होनी चाहिए जहां लोग विशेषकर युवक इन नई चुनौतियों का सामना करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकें। यह तभी संभव हो सकेगा जब लोग, विशेषरूप से युवा वर्ग जीवन के हरेक क्षेत्र में संवेदनशील और मानवीय मूल्यों का सम्मान करने वाले बनें ताकि वे किसी समस्या का नहीं बल्कि उसके निदान का हिस्सा बन सके।

(4) शैक्षणिक संस्थों में ऐसी गतिविधियों को आयोजित किया जाना चाहिए जिससे मानवाधिकार के बढ़ते क्षेत्र व घटक तथा मनुष्य की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और उसे व्यापक बनाने में इनकी प्रासंगिकता को समझ सके।

(5) मानवाधिकार शिक्षा को कानून प्रवर्तन से जुड़कर कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में इस प्रयास की ओर आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए।

(6) मानवाधिकार शिक्षा उस प्रयोजन के लिए आवश्यक नैतिक, बौद्धिक और लोकतांत्रिक संसाधन सृजित कर सकता है। अतः मानवीय, सभी की भागीदारी पर आधारित लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करने के इस समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ–साथ इसे बनाए रखा जाना चाहिए।

(7) नागरिक समाज संगठनों और मीडिया को जागरूकता पैदा करने और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

सारांश (Conclusion)

विश्व के विकसित एवं सभ्य राष्ट्रों की आधारशिला मानव अधिकार हैं। वर्तमान में भारतीय लोगों के मानवाधिकार संबंधी मुद्दों और चुनौतियों का समाधान तत्काल करने की आवश्यकता है। अतः आज बुद्धिजीवी वर्ग आगे आकर इन समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जब तक मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान शासन का आधार नहीं बनता, तब तक वास्तविक अर्थों

|ISSN: 2395-7639| www.ijmrsetm.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 10, Issue 1, January 2023 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2023.1001008|

में कोई प्रगति होना संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अधिकार और अवसर लोकतंत्र को विशिष्ट बनाते हैं, लेकिन सर्वाधिक चिंताजनक बात यह है कि हमारा देश अब संकीर्ण हितों के लिए लोगों के बीच सांप्रदायिकता और विभाजन को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति देख रहा है, जो लोकतंत्र को कमजोर करता है और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार मानवाधिकारों को शिक्षा के सभी स्तरों यथा– स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हमारी औपचारिक शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जो ज्ञान व कौशल प्रदान करके और जनता के दृष्टिकोणों को सकारात्मक रूप में ढाल कर मानव अधिकारों की एक सार्वभौमिक संस्कृति बनाने में मदद कर सके।

संदर्भ References)

- Steiner, H. & Alston, P. (2000). *International Human Rights in Context*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press.
- Felisal, T. (2017). Revisiting Emerging Models of Human Rights education. *International Journal of Human Rights Education*, 1 (1). Retrieved from http://repository.usfca.edu/ ijhre/vol1/iss1/2
- United Nations, General Assembly. (2011). *United Nations Declaration on Human Rights Education and Training.* GA 66/127, Art. 2 paras. 1-2. Geneva: United Nations.

Impact Factor: 7.580

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com

www.ijmrsetm.com